तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3.6.19	पत्रावली पेश। वकील पक्षकार उपस्थित। अपील अपीलान्ट के कथन, वांछित अनुतोष, अपील पर प्रारंभिक आपत्ति एवं अपीलाधीन आदेश का सम्यक चिंतन मनन किया गया। वकील रेस्पोडेन्ट की प्रारंभिक आपत्ति देवीलाल पुत्र घांसीलाल को पक्षकार नहीं बनाने के कारण अपील को अबेट किये जाने की है। तथा दूसरी मौखिक आपत्ति अपील को मियाद बाहर पेश करने की थी। अपीलान्ट द्वारा धारा 5 Limitation Act का प्रा० पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया था। वकील रेस्पो० द्वारा अपीलान्ट की अपील अवधि बाधित हो ऐसा तथ्य पेश नहीं किया गया। R.R.T. 2018 (1) निर्णय दिनांक 19.7.17 पेज 601 की रोशनी में अपील अन्दर मियाद मानी जाती है। चूंकि प्रकरण में किसी भी पक्ष के स्वत्व तय नहीं किये जाते हैं, अतः अपीलाधीन आदेश से आक्षेपकर्ता स्वयं पीड़ित प्रतीत होता है, इस स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अपील में उक्त पक्ष को पक्षकार नहीं बनाने से अपील अबेट हो चुकी है या उसके पक्षकार नहीं बनाने से अपीलाधीन आदेश इन्टरेड हो गया है। अतः अपील में प्रस्तुत प्रारंभिक आपत्ति को अस्वीकार किया जाकर यह आदेश दिये जाते हैं, कि आपत्ति कर्ता को भी प्रकरण में बतौर पक्षकार शरीक किया जावे। अपीलाधीन आदेश का सम्यक अवलोकन किया गया। पन्ना, घांसी पि० मथुरा के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण रि०	

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की ... में जारी
	29.6.14 को दायर किया गया। उक्त नामान्तरकरण की P.L.R. द्वारा 21.7.14 को जाँच की गई। तथा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 23.7.14 को निर्णय पारित किया गया। प्रकरण में अपनी रिपोर्ट में पटवारी द्वारा पन्ना को अविवाहित फौत होना बताया है, तथा P.L.R. द्वारा मात्र इतनी ही रिपोर्ट अंकित की है कि "जांच की-अंकन सही है" अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय पक्षकारान् को सुनवाई का अवसर दिये बगैर पारित किया गया व उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावित होने वाले पक्षकारान् को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट यह कथन करता है, कि वह मृतक पन्ना का पुत्र है, तथा पन्ना अविवाहित फौत नहीं हुआ है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह प्रकट होता है, कि अपीलार्थी मृतक पन्नालाल व धापूबाई का पुत्र है। प्रकरण में यह तय है, कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश	

3/6/14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित करते समय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का प्रतिपालन नहीं किया है। अपीलाधीन आदेश के परिणामस्वरूप अपीलार्थी को प्रदत्त – संवैधानिक संपत्ति के अधिकार एवं उसे विरासतन प्राप्त होने है, से वंचित होने की प्रबल संभावना है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय किसी भी तथ्य का आलंबन नहीं लिया है। साथ ही साथ अपीलाधीन आदेश को "speaking order" की संज्ञा से नहीं नवाजा जा सकता। अपीलाधीन आदेश को यथावत रखे जाने का तात्पर्य यह होगा कि एक विधि-विरुद्ध और तथ्यों से परे आदेश को संरक्षण दिया जाना। प्रकरण के गुणावगुण पर सम्यक विचार किया। अधिनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश न तो "स्पीकिंग आर्डर" है, और न ही उसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन करते हुये तथ्यपरख है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम हथियाखेड़ी के नामान्तरकरण नम्बर 330 दिनांक 23.7.14 पर दिया गया अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार रामगंजमंडी को इस दिशा निर्देश सहित प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि वे नामा० नं. 330/23.7.14 की भूमि से प्रभावित पक्षकारों को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अपने-अपने तथ्य एवं साक्ष्यादि का पर्याप्त एवं सुविधा-युक्त अवसर देकर पुनः नवीन सिरे से विधिसंगत आदेश पारित करें। तहसीलदार प्रकरण का तीन माह में निस्तारण करें। पक्षकार दिनांक 5 जुलाई 2019 को न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी में उपस्थित हों। पत्रावली की निर्णित में गणना भी जावे। रजिस्टर में खारिजा लगाया जावे बाद तामील तकमील प्रविष्ट लेखा भण्डार हो। निर्णय आज दिनांक 03.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) 03/6/19 (चिमनलाल मीणा) R.A.S.	